न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 87/19 निर्णय दिनांकः 21–11–2019
(आरसीएमएस संख्या 2019/00126)

1. गिरीशचन्द्र पुत्र आनन्द जाति जोशी निवासी रानीबाजार बीकानेर हाल ग्रीन पार्क, जयपुर रोड़, जयपुर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18–12–2003
सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री उमाशंकर व्यास , अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर के आदेश दिनांक 18–12–2003 जिसके द्वारा अपीलांट् का आवंटन विधि विरूद्व तरीके से निरस्त किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् को तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा बतौरभूमिहीन के तौर पर पात्र मानते हुए चक 4 जीडब्ल्यूएम (ए) के मुरब्बा नम्बर 31/51 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी कुल 24 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटनकी गई तथा वादगत् भूमि का पट्टा भी जारी कर दिया गया। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि की नियमानुसार किश्तें भी खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी थी। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन की तमाम कार्यवाही पूर्ण कर ली गई। तत्पश्चात् आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 28–01–2003 को अपीलीांट को पूर्व में आवंटित 24 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विनिमय में उसके मुल

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवंटन की पात्रतानुसार 50 प्रतिशत से अधिक कमाण्ड भूमि आवंटन किये जाने के फलस्वरूप विनिमय कमेटी की अनुशंसा से दिनांक 28–01–2003 को चक 8 पीएसएम I के मुरब्बा नम्बर 102/50 के किला नम्बर 1 ता 3, 7 ता 25 की 22 बीघा कमाण्ड एवं किला न म्बर 4 ता 6 की 3 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आवंटन की सूचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नहीं दी गई। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को आवंटन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट बावजूद सूचना वांछित सबूत सहित उपस्थित नहीं आया। अतः आवंटन खारिज किया जाता है।

उन्होनें आगे बताया कि प्रकरण में उल्लेखनीय यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में अपीलांट को उसकी पात्रता की जॉच करते हुए व समस्त सबूत पत्रावली में उपलब्ध होने के उपरान्त ही आवंटन सलाहकार समिति की राय से आवंटन किया गया था तथा उसके पश्चात् विनिमय कमेटी द्वारा पूर्व के आवंटन को खारिज करते हुए अन्य भूमि के आवंटन की अनुशंसा की गई थी। ऐसी स्थिति में पुनः सबूत प्रस्तुत करने का कोई औचित्य ही उत्पन्न नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व आवंटन नियमों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। यदि अपीलांट की कुछ किश्तें बकाया भी है तो वह आज दिनांक तक जमा करवाने को तैयार है। वादग्रस्त भूमि आज दिनांक तक आराजीराज दर्ज है। राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट का पश्चातवर्ती आवंटन बहाल किया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–12–2003 के विरूद्व अपील दिनांक 11–04–19 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन वांछित सबूत पेश नहीं करने के कारण खारिज किया जा चुका है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–12–2003 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 11–04–2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 4 जीडब्ल्यूएम (ए) के मुरब्बा नम्बर 31/51 में कुल 24 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटित की गई तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 27–12–2002 को सीएडी चकप्लान के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक अनकमाण्ड होने पर विचारार्थ भूमि विनिमय कमेटी की बैठक दिनांक 10–12–2002 में रखने पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि आवेदक की बकाया किश्तों की राशिजमा होने की शर्त पर विनिमय का पात्र है।

प्रस्तुत मामलें में दिनांक 28–01–2003 को प्रकरण विनिमय कमेटी की अनुशंसा के अनुसार पूर्व में अपीलांट को पूर्व में चक 4 जीडब्ल्यूएम (ए) के मुरब्बा नम्बर 31/51 में कुल 24 बीघा अनकमाण्ड भूमि को निरस्त करते हुए उसी दिनांक अर्थात 28–01–2003 को अन्य भूमि चक 8 पीएसएम I के मुरब्बा नम्बर 102/50 के किला नम्बर 1 ता 3, 7 ता 25 की 22 बीघा कमाण्ड एवं किला न म्बर 4 ता 6 की 3 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। इन तथ्यों से यह साबित होता है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसकी पात्रता के अनुसार ही उपरोक्त आवंटन किये गये थे।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18–12–2003 को आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट के पश्चातवर्ती आवंटन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट बावजूद सूचना सबूतों

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सहित उपस्थित नहीं आया। अतः अपीलांट का आवंटन खारिज किया जाता है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि अपीलांट को आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 07–03–2002 को तमाम सबूतों की जॉच करते हुए व पात्रता के अनुसार ही आवंटन किया गया था। उसके पश्चात् विनिमय कमेटी द्वारा अपीलांट की पात्रता की जॉच करते हुए विनिमय में अन्य भूमि के आवंटन की अनुशंसा की गई थी। ऐसी स्थिति में जब अपीलांट को दो बार सबूतों के आधार पर पात्रता की जॉच करते हुए आवंटन किये जा चुके थे तब ऐसी स्थिति में पुनः सबूत की मांग करना व सबूतों के अभाव में आवंटन को खारिज किया जाना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किये बिना व मात्र अपीलांट के आवंटन को खारिज करने के उद्देश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार वादग्रस्त भूमि आज दिनांक को भी आराजीराज दर्ज है। अपीलांट बकाया किश्तें जमा करवाने को तैयार है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–12–2003 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ~~पूगल~~ कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट से बकाया किश्तें जमा करवाते हुए अपीलांट का पश्चात्वर्ती आवंटन बहाल किया जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21–11–2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजस्व अपील अधिकारी)
बीकानेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.26 17:58:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: